कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग
"निर्माण भवन" प्लाट नं. 27-28, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
Website : www.mppwd.gov.in Email : pwdbhop@mp.nic.in
Tel. No. - 0755 - 2551485, Fax - 0755-2556527

क्रमांक/संचार/लोनिवि / 2089 भोपाल दिनांक 01/09/2014

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता/
अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश।

विषयः- **निर्माण कार्यो के निरीक्षण संपादन एवं कार्यो की समयबद्ध प्रगति को सुनिश्चित करने के संबंध में।**

--00--

उपरोक्त विषय में पूर्व में भी समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। इसी के अनुक्रम में निम्नांकित निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें:-

1. सभी अधिकारी अपनी टूर डायरी नियमित रूप से प्रतिमाह अगले माह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः अपने निकटतम वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसमें यह अवश्य दर्शाया जाया कि उनके द्वारा कहां-कहां दौरा किया गया एवं किन-किन कार्यो का निरीक्षण किया गया। कार्यपालन यंत्री अपनी टूर डायरी अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत करेंगे, अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता को एवं मुख्य अभियंता, प्रमुख अभिंयुता को प्रस्तुत करेंगे। टूर डायरी में यदि किसी कार्य की प्रगति बाधित हो रही हो तो उसका विवरण देते हुये यह भी टीप दी जाये कि इस कार्य को समयसीमा में पूर्ण करने हेतु किस स्तर से क्या कार्रवाई अपेक्षित है।

2. शासन द्वारा कार्यो के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी एवं कुशल प्रबंधन हेतु समय-समय निरीक्षण के संबंध में पत्र क्रमांक 2001/19/यो/2011-12 भोपाल दिनांक 25-04-2011द्वारा निर्देश एवं इंस्पेक्शन शेडयूल जारी किया गया है। इस इंस्पेक्शन शेडयूल के हिसाब से कार्यो का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले सड़कों की स्थिति निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत की जाये। गत वर्ष किये गये समस्त

नवीनीकरण के कार्य जो परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत हैं उनका निरीक्षण अपने मण्डल के अंतर्गत अधीक्षण यंत्री स्वयं करेंगे एवं एक सप्ताह के अंदर इन कार्यों की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन मुख्य अभिंयता को प्रस्तुत करेंगे। परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले कार्य में कहीं भी किसी प्रकार की क्षति है तो उसके सुधार के संबंध में आवश्यक कदम उठाये जायें यह रिपोर्ट मुख्य अभियंता के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करेंगे। परफारमेंस गारंटी के अंतर्गत आने वाले कार्यो को समय-समय पर निरीक्षण हेतु शासन के पत्र कमांक एफ-58/1/11/यो/19 भोपाल दिनांक 11-03-2011 द्वारा जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. मॉनिटरिंग आफफ वर्क्स- जो कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं उनके संबंध में मॉनिटरिंग एवं कांट्रेक्ट मैनेजमेंट को और अधिक चुस्त किये जाने की आवश्यकता है। जिससे कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि कार्यपालन यंत्री उनके संभाग में चल रहे समस्त कार्यो की समीक्षा माह मे एक बार संबंधित सहायक यंत्री एवं ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के साथ समीक्षा कर प्रतिवेदन अधीक्षण यंत्री को प्रस्तुत करेंगे। अधीक्षण यंत्री उनके मण्डल के अंतर्गत संभागों में चल रहे ऐसे कार्य जिनकी लागत रू. 1 करोड़ से रू. 5 करोड़ के मध्य है की समीक्षा प्रतिमाह आवश्यक रूप से कर प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार मुख्य अभियंता उनके परिक्षेत्र के अंतर्गत चल रहे ऐसे समस्त कार्य जिनकी लागत रू. 5 करोड़ से अधिक है की प्रगति के संबंध में समीक्षा प्रतिमाह समीक्षा प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता को प्रस्तुत करेंगे।

( इंजी. अखिलेश अग्रवाल )
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग

पृ. क्रमांक /संचार/लोनिवि/2014/ 2090 भोपाल दिनांक 01/09/2014

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय मंत्री म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।

( इंजी. अखिलेश अग्रवाल )
प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग